आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

C.C.A. अपीलवाद सं0-85/2024

भूषण सिंह

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

07.06.2024

अपीलकर्ता - अनुपस्थित।

प्रस्तुत C.C.A. अपीलवाद, न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा C.C.A. वाद संख्या-28/2024 में दिनांक 19.03.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका का अवलोकन किया तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना।

अभिलेख पर उपलब्ध अपीलकर्ता के याचिका के अवलोकन एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने से यह स्पष्ट है कि जिला दण्डाधिकारी, सिवान का आदेश दिनांक 06.06.2024 तक ही प्रभावी रहा है। वर्तमान में उनका आदेश प्रभावहीन (infructuous) हो चुका है। ऐसी स्थिति में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि प्रस्तुत वाद को चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

तदनुसार, वाद की कार्रवाई को समाप्त करते हुए वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner